7

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 32/2022 दायर दिनांक–05.04.2023

1 ताराचंद पुत्र रामेश्वर
2 परमेश्वर पुत्र रामेश्वर
3 संतोष देवी पुत्री रामेश्वर
4 कमला देवी पुत्री रामेश्वर
5 जगवंती देवी पुत्री रामेश्वर
6 मुन्नी देवी पुत्री रामेश्वर
7 शांति देवी पत्नी रामेश्वर समस्त जाति मेघवाल निवासीगण भगेरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
2. विनोद पुत्र उदाराम जाति मेघवाल निवासी भगेरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री सुरेन्द्र भर्रा
वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय

दावा बाबत घोषणार्थ

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 18.07.2024

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि वाके ग्राम भगेरा पटवार हल्का निवाई तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू की सरहद में काश्त की भूमि खाता संख्या नया 189 पुराना 174 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर नया 205 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 206 रकबा 0.25 है0 खसरा नम्बर 254 रकबा 0.23 है0 खसरा नम्बर 255 रकबा 0.94 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.52 है0 अवस्थित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड वादीगण के पिता रामेश्वर पुत्र मालाराम हिस्सा 141/152 दर्ज है। वादीगण के पिता रामेश्वर का स्वर्गवास दिनांक 22.05.2020 को हो गया है। वादीगण रामेश्वर के विधिक वारीसान है जिनका रामेश्वर की संपति में जन्म से ही अधिकार है। वादीगण प्रत्येक का 0.20 है0 हिस्सा निहित है। रामेश्वर को उक्त भूमि दान पत्र से अपने नाना हेमाराम पुत्र रूपाराम से दिनांक 06.01.1975 को प्राप्त हुई है। वादीगण का पिता व पति बचपन से ही अपने नाना के पास रहता था नाना के कोई पुत्र संतान नही थी वादीगण का पिता व पति ही उसका परवरिस व सेवा करता था जिस कारण से वादीगण के पिता व पति का नाम अपने नाना हेमाराम के राशन कार्ड मे पुत्र लिखा गया तथा रामेश्वर के मृत्यु प्रमाण पत्र में भी पिता का नाम हेमाराम दर्ज है जबकि हेमाराम रामेश्वर का नाना लगता था ना कि पिता लगता है। इस कारण पटवारी हल्का ने विरासत का नामांतकरण दर्ज करने से वादीगण को मना करने के रोज वादकारण पैदा हुआ।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई।

वकील वादी द्वारा शहादत वादी हेतु ताराचंद पुत्र रामेश्वर का चीफ का सपथ पत्र पेश किया तथा वादी द्वारा अपने वाद–पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेजात प्रदर्श–1 रजिस्ट्रर्ड दानपत्र प्रदर्श 2 राशन कार्ड प्रदर्श 3 पहचान पत्र प्रदर्श 4 नकल जमाबंदी सम्वत 2075–2078 आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श 1 असल दानपत्र से स्पष्ट है उक्त विवादग्रस्त भूमि हेमाराम पुत्र रूपाराम जाति चमार द्वारा भूमि को जरिये रजिस्ट्रर्ड रामेश्वर पुत्र मालाराम जाति चमार को दान स्वरूप दे दी थी तथा पत्रावली पर उपलब्ध परिवार राशन कार्ड व पहचान पत्र से स्पष्ट है कि वादीगण रामेश्वर के विधिक वारिसान है। अतः उक्त विवादग्रस्त भूमि में रामेश्वर के हिस्सा 141/152 के वादीगण बराबर बराबर हिस्से के खातेदार

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

श्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादीगण न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम भगेरा पटवार हल्का निवाई तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू की सरहद में काश्त की भूमि खाता संख्या नया 189 पुराना 174 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर नया 205 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 206 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 254 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 255 रकबा 0.94 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.52 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में रामेश्वर पुत्र मालाराम का हिस्सा 141/152 का नाम हजफ किया जाता है तथा रामेश्वर पुत्र मालाराम हिस्सा 141/152 का वादीगण 1 लगायत 7 को बराबर–बराबर हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कर अमल दरामद करें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 18.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/7/24

(हवाई सिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़

9

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणार्थ

मुकदमा सं0ः– 32/2023 **(ताराचंद बनाम राजस्थान सरकार आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 18.07.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम भगेरा पटवार हल्का निवाई तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू की सरहद में काश्त की भूमि खाता संख्या नया 189 पुराना 174 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर नया 205 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 206 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 254 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 255 रकबा 0.94 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.52 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में रामेश्वर पुत्र मालाराम का हिस्सा 141/152 का नाम हजफ किया जाता है तथा रामेश्वर पुत्र मालाराम हिस्सा 141/152 का वादीगण 1 लगायत 7 को बराबर–बराबर हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कर अमल दरामद करें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 18.07.2024 को जारी की गई।

18/7/24
हवाई सिंह यादव (R.A.S.)
सहायक कलक्टर, (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़

.मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
.स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00